

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Stamp Appeal No.- 249/2022****Sri Shankar Jha Appellant.****Versus****The State of Bihar & Ors Respondents.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	17.11.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत स्टाम्प अपील वाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के न्यायालय वाद संख्या-33/2022 में दिनांक-26.08.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा Indian Stamp Act की धारा 47A(6) के अंतर्गत कुल कमी मुद्रांक का 50% राशि Indian Non Judicial Govt. of Bihar e-Stamp Certificate No. IN-BR45492398613954U दिनांक-17.11.2022 द्वारा जमा की गई है।</p> <p>अपीलार्थी एवं राज्य सरकार को सुना। इस न्यायालय द्वारा Deficit Stamp Appeal No. 247/2022 (शंकर झा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक-17.11.2023 को पारित आदेश इस वाद में समान रूप से प्रभावी होगा। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख सभी संबंधितों को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p>	

--	--	--	--

Web Copy. Not Official.